<u>एफ0 आर0 वाद सं0– 105/2016</u>

अ0सं0–656/17
थाना–ठाकुरद्वारा

<u>04.01.2019</u>

पत्रावली पेश हुई। वास्ते आदेश हेतु नियत है। पूर्व में वादी एवं उसके विद्वान अधिवक्ता को प्रोटेस्ट पर सुना जा चुका है।

प्रस्तुत प्रोटेस्ट दिनांकित 10.10.2018 प्रोटेस्टकर्ता इन्तजार की ओर से इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि उक्त केस में अन्बेषण अधिकारी द्वारा दिनांक 14.02.2018 को माननीय न्यायालय में प्रेषित की गयी अन्तिम आख्या खिलाफ वाकेआत व खिलाफ कानून है। दिनांक 19.12.2017 को समय करीब 04.30 बजे शाम प्रार्थी का पुत्र मौ0 यूनुस अपनी पत्नी श्रीमती फरजाना व पुत्र फैजान के साथ ठाकुरद्वारा से अपने गांव अब्दुल्लापुर लेदा को आ रहा था, रास्ते में लपकना पुल से पहले सामने से तेजी व लापरवाही से आ रहे टैम्पू ने टक्कर मार दी जिससे मौ0 यूनुस, उसकी पत्नी फरजाना व पौत्र फैजान गम्भीर रूप से घायल हो गये तथा बेहोश हो गये। तीनों घायलों को संजीवनी अस्पताल काशीपुर में भर्ती किया गया तथा इलाज के दौरान दिनांक 23.12.2017 को प्रार्थी के पुत्र मौहम्मद यूनुस की मृत्यु हो गयी। प्रार्थी की सूचना पर पुलिस थाना ठाकुरद्वारा में मुकदमा अपराध सं0–0656/2017 राज्य बनाम अज्ञात धारा–279,337,338,304ए भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया। दिनांक 07.08.2018 को प्रार्थी की पुत्रवधु ने पशुपति गेस्ट हाऊस के सामने उक्त टैम्पू चालक को पहचान लिया। भीड़ में मौजूद अब्दुल्लापुर लेदा के एक व्यक्ति ने उक्त टैम्पू चालक की पहचान ग्राम रामनगर खागूवाला पुलिस थाना ठाकुरद्वारा के रिजवान पुत्र भुट्टू के रूप में की। दिनांक 10.08.2018 को ग्राम के संभ्रान्त व्यक्तियों ने अब्दुल्लापुरा लेदा में उक्त टैम्पूचालक को बुलाकर श्रीमती फरजाना व उसके बच्चों के विषय में वार्ता की तो रिजवान ने पंचों के मध्य अपनी गलती स्वीकार करते हुए कहा कि वह फरजाना व उसके बच्चे के लिए यथासंभव आर्थिक मदद करेगा।

विवेचक ने प्रेषित अंतिम आख्या में यह कथन किया है कि तमामी विवेचना, बयान वादी, बयान गवाहान, निरीक्षण घटना स्थल, बयान पंचायन, बयान मजरूब आदि व पतारसी, सुरागरसी व अन्य बयानात से भी घटना से सम्बन्धित अज्ञात टैम्पू व टैम्पू चालक के सम्बन्ध में जानकारी करने के अथक प्रयासों के बावजूद भी अज्ञात टैम्पू व उसके चालक के बारे मे कुछ पता नहीं चल सका, न ही निकट भविष्य में पता चलने की सम्भावना है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से यह तथ्य विदित हुआ कि प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र के पैरा सं0–8 व 9 में वादी की पुत्रवधु द्वारा कथन किया गया

है कि उसने टैम्पू चालक को पहचान लिया है तथा टैम्पू चालक ने अपनी गलती स्वीकार की है। प्रार्थनापत्र के साथ वादी इन्तजार अली का शपथपत्र भी संलग्न है। पत्रावली के सम्पूर्ण परिशीलन एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले में अग्रिम विवेचना कराया जाना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

<u>आदेश</u>

, प्रस्तुत एफ0आर0 वाद सं0–105/18 अपराध सं0–656/17 अन्तर्गत धारा–279,337,338,304ए भा0दं0सं0 थाना–ठाकुरद्वारा के प्रकरण में पुलिस द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या सख्या 23/18 निरस्त की जाती है। थानाध्यक्ष ठाकुरद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि वह मामले में नियमानुसार अग्रिम विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करे और विवेचना के उपरान्त अपनी आख्या न्यायालय में तीस दिन के अन्दर प्रस्तुत करें।

न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा